

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु गीडा क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं के भूखण्डों के दर निर्धारण हेतु प्राधिकारी बोर्ड द्वारा गठित कास्टिंग कमेटी की बैठक दिनांक 20.02.2024 की कार्यवृत्त।

उपस्थिति :-

- | | |
|---|------------------|
| 1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी | (अध्यक्ष) |
| 2. महा प्रबन्धक (वित्त), गीडा, गोरखपुर | (सचिव) |
| 3. सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, गोरखपुर | (सदस्य) |
| 4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर | (सदस्य) |
| 5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा, गोरखपुर। | (सदस्य) |
| 6. वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), गीडा, गोरखपुर | (सदस्य) |
| 7. वरिष्ठ प्रबन्धक (विद्युत यांत्रिक), गीडा, गोरखपुर | (सदस्य) |
| 8. प्रबन्धक (भूमि अधिग्रहण), गीडा, गोरखपुर। | (सदस्य) |
| 9. सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति), गीडा, गोरखपुर। | (विशेष आमंत्रित) |
| 10. प्रबन्धक (नियोजन) गीडा, गोरखपुर। | (सदस्य) |
| 11. मे० गौरव जी अग्रवाल एण्ड क० चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, गोरखपुर | (सदस्य) |
| 12. मे० राशिद मुस्तफा एण्ड एसोसिएटस, कास्ट एकाउन्टेन्ट, गोरखपुर | (विशेष आमंत्रित) |

सर्वप्रथम गीडा क्षेत्र में भूमि की मांग एवं उपलब्धता के सम्बन्ध में चर्चा की गयी, चर्चा के दौरान यह बात प्रकाश में आयी कि गीडा की समस्त योजनाओं में भूखण्डों की मांग अच्छी है। कमेटी द्वारा विगत वर्षों से भूखण्डों के दर निर्धारण का अध्ययन करने के उपरान्त प्राधिकारी बोर्ड की 55वीं बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में वर्तमान एस.बी.आई. एम.सी.एल.आर. + 1 % प्रशासनिक व्यय को सम्मिलित करते हुये 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से गत वर्ष 2023-24 के अनुमोदित दर पर ब्याज भारित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निम्नानुसार दरें कास्टिंग कमेटी संस्तुत करती है, जो दिनांक 01.04.2024 से प्रभावी होंगी

योजनावार सेक्टरवार विवरण निम्नवत् है :-

सहजनवाँ आवासीय योजना एवं विस्तार सेक्टर संख्या - 23

आवासीय भूखण्डों के लिए दरें प्रतिवर्ग मीटर (रूपये में)			व्यवसायिक भूखण्ड के लिए दरें प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)		
श्रेणी	2023-2024 (अनुमोदित दर)	2024-2025 (संस्तुत दर)	श्रेणी	2023-2024 (अनुमोदित दर)	2024-2025 (संस्तुत दर)
A	21510	23700	0 से 500 वर्ग मीटर तक	36730	40400
B	21510	23700	अगले 501 से 1000 वर्ग मीटर तक	34930	38500
C	21510	23700	अगले 1001 से 2000 वर्ग मीटर तक	32050	35300

(Handwritten signatures and initials)

D	18220	20100	अगले 2001 से 4000 वर्ग मीटर तक	29300	32300
E	18220	20100	अगले 4001 वर्ग मीटर से अधिक	27500	30300

नोट :-

- क. यदि भूखण्ड पार्क के सम्मुख स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ग. यदि भूखण्ड पार्क के सम्मुख एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- घ. विद्यालय / कालेज के भूखण्डों की दरें शासन की नवीनतम व्यवस्थानुसार लागू होंगी।

न्यू गोरखपुर आवासीय योजना सेक्टर संख्या - 05

आवासीय भूखण्डों के लिए दरें प्रतिवर्ग मीटर (रूपये में)			व्यवसायिक भूखण्ड के लिए दरें प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)		
श्रेणी	2023-2024 (अनुमोदित दर)	2024-2025 (संस्तुत दर)	श्रेणी	2023-2024 (अनुमोदित दर)	2024-2025 (संस्तुत दर)
A	20430	22500	0 से 500 वर्ग मीटर तक	34630	38100
B	20430	22500	अगले 501 से 1000 वर्ग मीटर तक	32960	36300
C	20430	22500	अगले 1001 से 2000 वर्ग मीटर तक	30320	33400
D	16300	18000	अगले 2001 से 4000 वर्ग मीटर तक	27620	30400
E	16300	18000	अगले 4001 वर्ग मीटर से अधिक	26190	28800

नोट :-

- क. यदि भूखण्ड पार्क के सम्मुख स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।

[Handwritten signatures and initials]

- ग. यदि भूखण्ड पार्क के समूह एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
घ. विशालय कालेज के भूखण्डों की दरें नवीनतम शरान की नवीनतम व्यवस्थानुसार लागू होगी।

संस्थागत सेक्टर संख्या - 7, 9, 11 एवं 23

क्र० सं०	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)
1	0 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक	8570	9500
2	2001 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	8330	9200
3	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	7790	8600
4	20001 वर्ग मीटर से 40000 वर्ग मीटर तक	7560	8300
5	40001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	7310	8100
6	80001 वर्ग मीटर से 120000 वर्ग मीटर तक	6770	7500
7	120001 वर्ग मीटर से 200000 वर्ग मीटर तक	6530	7200

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।

ग्रुप हाउसिंग

क्रम संख्या	सेक्टर	वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में) दिनांक	वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	एफ०ए०आर०
1.	5 एवं 7	14200	15600	2.5
2.	23	15340	16900	2.5

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

व्यवसायिक

सेक्टर	दरें प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)		
	श्रेणी	2023-2024 (अनुमोदित दर)	2024-2025 (संस्तुत दर)
से०-7 एवं 9 के समस्त व्यवसायिक भूखण्ड (आवासीय योजना से० 05 के समीप स्थित)	0 से 500 वर्ग मीटर तक	34630	38100
	अगले 501 से 1000 वर्ग मीटर तक	32960	36300
	अगले 1001 से 2000 वर्ग मीटर तक	30320	33400
	अगले 2001 से 4000 वर्ग मीटर तक	27620	30400
	अगले 4001 वर्ग मीटर से अधिक	26190	28800
से०-11 के समस्त व्यवसायिक भूखण्ड (आवासीय योजना से०-05 के समीप स्थित) 13, 15 एवं 17 के समस्त व्यवसायिक भूखण्ड (आवासीय योजना से०-23 के समीप स्थित)	0 से 500 वर्ग मीटर तक	36730	40400
	अगले 501 से 1000 वर्ग मीटर तक	34930	38500
	अगले 1001 से 2000 वर्ग मीटर तक	32050	35300
	अगले 2001 से 4000 वर्ग मीटर तक	29300	32300
	अगले 4001 वर्ग मीटर से अधिक	27500	30300

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।



औद्योगिक सेक्टर संख्या 17

क्रम संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)
1	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	6650	7300
2	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	6530	7200
3	20001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	6410	7100
4	80001 वर्ग मीटर और उससे अधिक	6230	6900

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।

औद्योगिक सेक्टर संख्या 13 एवं 15

क्रम संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)
1	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	7190	7900
2	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	7140	7850
3	20001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	7070	7800
4	80001 वर्ग मीटर और उससे अधिक	7020	7700

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना सेक्टर संख्या 22 एवं 23

उपयोग	दरें प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)		
	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)
ट्रांसपोर्ट एजेन्सी हेतु	---	22650	24900
दुकान, ढाबा, होटल एवं अन्य व्यवसायिक भूखण्डों हेतु	0 से 500 वर्ग मीटर तक	36730	40400
	अगले 501 से 1000 वर्ग मीटर तक	34930	38500
	अगले 1001 से 2000 वर्ग मीटर तक	32050	35300
	अगले 2001 से 4000 वर्ग मीटर तक	29300	32300
	अगले 4001 वर्ग मीटर से अधिक	27500	30300

नोट :- क. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।



ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।

ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय

औद्योगिक सेक्टर 26 (ग्राम भीटी रावत)

क0 सं0	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रू0 में)
1	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	7190	7900
2	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	6720	7400
3	20001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	6230	6900
4	80001 वर्ग मीटर और उससे अधिक	5760	6400

नोट :-

क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।

ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।

ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।

[Handwritten signatures and initials]

औद्योगिक सेक्टर 27 व 28 (ग्राम नरकटहा एवं भगवानपुर)

क्र० सं०	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)
1	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	6000	6600
2	4001 वर्ग मीटर से 8000 वर्ग मीटर तक	5800	6400
3	8001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	5500	6100
4	20001 वर्ग मीटर से 40000 वर्ग मीटर तक	5200	5700
5	40001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	4800	5300
6	80001 वर्ग मीटर और उससे अधिक	4200	4600

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।
 ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
 ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।

प्लारिटक पार्क औद्योगिक क्षेत्र (ग्राम नरकटहा एवं भगवानपुर)


क्र० सं०	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)
1	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	5100	5600
2	4001 वर्ग मीटर से 8000 वर्ग मीटर तक	4900	5400


(Handwritten signatures and marks)


क0 सं0	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रू0 में)
	तक		
3	8001 वर्गमीटर से 20000 वर्गमीटर तक	4600	5100
4	20001 वर्ग मीटर से 40000 वर्ग मीटर तक	4300	4700


नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।
 ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
 ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।


 (नन्द किशोर जयसवाल)
 प्रबन्धक भूमि अधिग्रहण
 सदस्य



 (अजय कुमार राय)
 वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)
 (सदस्य)



 (सत्यपाल भोंटी)
 वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)
 (सदस्य)



 (सत्यपाल भोंटी)
 प्रबन्धक नियोजन
 (सदस्य)


(अजय कुमार)
 क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा, गोरखपुर।
 (सदस्य)

(हितेश कुमार)
 सहयुक्त नियोजक
 नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग,
 (सदस्य)


 (गौरव अग्रवाल)
 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
 (सदस्य)


 (संतोष कुशवाहा)
 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
 गो0वि0प्रा0


 (अतुल तिवारी)
 महाप्रबन्धक (वित्त),
 गीडा, गोरखपुर।
 (सचिव)


 (डा0 आर0डी0 पाण्डेय)
 अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
 गीडा, गोरखपुर।
 (अध्यक्ष)